

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4957/2025

United India Insurance Company Limited,

----Appellant

Versus

Mahaveer S/o Bhanwarlal

----Respondent

Connected With

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4652/2025

Mahaveer Son Of Shri Bhanwar Lal

----Appellant

Versus

Anjali D/o. Shri Arvind

----Respondent

For Appellant(s)	:	Ms. Bharti Trivedi
For Respondent(s)	:	Mr. Kunal Jaiman

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

10/12/2025

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4957/2025-

यह सिविल विविध अपील अपीलार्थी/अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से विचारण न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के निर्णय एवं पंचाट दिनांक 06.08. 2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी बीमा कंपनी पर दावेदारों को 1,50,163/- रुपये क्षतिपूर्ति राशि को अदा करने का दायित्व अधिरोपित किया गया है और उन्हें उक्त राशि वाहन चालक और स्वामी से वसूलने का अधिकार दिया गया है।

सुना गया। प्रत्यर्थी दावेदारों की ओर से अधिवक्ता श्री कुणाल जैमन आज न्यायालय में उपस्थित हैं। शेष गैर-दावेदारों/प्रत्यर्थीगण की तामील हेतु अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस मय आदेशिका शुल्क के नोटिस जारी हों।

अभिलेख तलब किया जाए।

स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना गया।

अपीलार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 149 में संशोधन किया जा चुका है। संशोधन 1 अप्रैल, 2022

से प्रभावी हुए हैं और वर्तमान प्रकरण 1 अप्रैल, 2022 के पश्चात् की दुर्घटना से संबंधित है। उक्त संशोधित प्रावधान में बीमा कंपनी को प्रथमतः दावेदारों को क्षतिपूर्ति अदा करने और बाद में उसे वसूल किए जाने संबंधी प्रावधान जो कि धारा 149 (4) के परंतुक में था, को हटा दिया गया है और विधि के इस अधिनियम के बदले हुए प्रावधान के पश्चात् आलोच्य आदेश जो कि बीमा कंपनी को प्रथमतः राशि अदा करने के लिए दायी बनाए गए हैं, को स्थिर नहीं रखा जा सकता है।

उन्होंने इस आशय का स्थगन आदेश की प्रार्थना की है कि आगामी तिथि तक उक्त राशि की वसूली बीमा कंपनी से नहीं की जावे।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक विनिश्चय पेश किए गए हैं—

1. ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. Vs. Mohanlal Biarwa
S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4944/2024 Order date-04-12-2024
2. ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. Vs. Santosh Kwar
S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 211/2025 Order date-17-01-2025
3. Universal Sompo General Insurance Company Ltd. Vs. Anuj Rani and others
FAO-1081-2024 (O&M)

विचार किया गया।

पत्रावली और अधिनियम से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में इस आशय का अंतरिम आदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी पक्ष आगामी तिथि तक अपीलार्थी बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति राशि की वसूली के संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करें।

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4652/2025-

अपीलार्थी/दावेदारों की ओर से आज अधिवक्ता उपस्थित हैं।

प्रत्यर्थी बीमा कंपनी की ओर से भी अधिवक्ता उपस्थित हैं। अतः उन्हें नोटिस दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। शेष गैर-दावेदारों/प्रत्यर्थीगण की तामील हेतु अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस मय आदेशिका शुल्क के नोटिस जारी हों।

अभिलेख तलब किया जाकर पत्रावली के साथ संलग्न किया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J